हरियाणा सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग
(प्रोटोकॉल शाखा)
क्रमांक 49/35/2011-2प्रो0

सेवा में

दिनांक 20 अक्तूबर, 2020

1 सभी जिला उपायुक्त।

HARYANA CIVIL SECTT.
20 OCT 2020
ISSUE BRANCH

विषय:- स्वतन्त्रता सेनानी घोषित करने के सम्बन्ध में जांच सूची (Check List) बारे।

****

उपरोक्त विषय पर सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि निम्नलिखित चैक लिस्ट अनुसार ही मामले सरकार को भेजे

क्रम सं0	चैक लिस्ट	टिप्पणी
1	क्या प्रार्थी द्वारा कारागार का दंड भोगा गया है, यदि हां तो कहा कितने साल किस धारा के अन्तर्गत कितनी अवधि तक दंड भोगा गया है ?	
2	क्या प्रार्थी छः महीने से अधिक अवधि तक भूमिगत रहा था या नही ?	
3	क्या प्रार्थी घोषित अपराधी था ?	
4	क्या प्रार्थी की गिरफतारी या उसे पकडवाने के लिए पुरस्कार की घोषणा की गई थी ?	
5	क्या प्रार्थी की नजरबन्दी का आदेश जारी किया गया था परन्तु तामील नही हुआ था ?	
6.	क्या प्रार्थी को अपने घर में छः महीने या इससे अधिक नजरबन्द रखा गया था या अपने जिले से निष्काषित किया गया था ?	
7.	क्या प्रार्थी की सम्पत्ति स्वतन्त्रता आन्दोलन में भाग लेने के कारण जब्त की गई थी या कुर्क की गई थी या बेच दी गई थी ?	
8	क्या प्रार्थी गोली लगने या लाठीचार्ज के कारण स्थायी रूप से अपग हो गया था ?	
9.	क्या प्रार्थी को अपनी नौकरी, केन्द्रीय या राज्य सरकार से हाथ धोना पडा और इस प्रकार राष्ट्रीय आंदोलनों में भाग लेने से अपना जीविका का साधन गवाना पड़ा ?	
10	क्या प्रार्थी भारत सरकार से पैंशन ले रहा है ?	

नोट:- उपरोक्त के सदर्भ में निम्न दस्तावेज संलग्न किये जाये:-

1. प्रार्थी के सम्बन्धित जेल अधिकारी, जिला मजिस्ट्रेट या राज्य सरकार द्वारा जारी प्रमाण-पत्र।
2. वर्तमान संसद सदस्य या विधान सभा सदस्य से एक साथ कैदी रहने का कोई प्रमाण-पत्र।
3. प्रार्थी जो भूमिगत रहे क्या तत्कालीन न्यायलय/सरकार द्वारा उनके सम्बन्ध में जारी दस्तावेज प्रमाण-पत्र सलगन किये है जिसमे उसे पकडवाने, या उसको गिरफतार करवाने के लिए इनाम घोषित किया गया हो या नजरबन्दी के आदेश दिये गये हो।
4. यदि सरकारी रिकार्ड उपलब्ध नही है तो जाने-माने स्वतन्त्रता सेनानियों जिनका कार्यक्षेत्र एक था प्रमाण-पत्र सलगन किया क्या जिन्होने स्वयं पाच वर्ष या उस से अधिक अवधि तक जेल भोगी हो।
5. स्थानीय नजरबन्दी या बाहर निष्कासन के आदेश या कोई अन्य पुष्टिकारक दस्तावेजों के प्रमाण-पत्र।
6. सम्पत्ति को जब्त करने या बेचने के आदेश की प्रति।
7. सेवा से बरखास्त करने या हटाने के आदेश की प्रति।
8. आधार-कार्ड की प्रति।

Harikishan
अवर सचिव, प्रोटोकोल,
ओ/सी कृते: मुख्य सचिव हरियाणा सरकार। 19/10/2020

HARYANA CIVIL SECTT.
20 OCT 2020
ISSUE BRANCH

क्रमांक 49/35/2011-2प्रो0

दिनांक चण्डीगढ़ 20/10/2020

इसकी एक प्रति कोषपाल पुण्य अर्थ निधि हरियाणा, एस.सी.ओ.न0 909, दूसरी मन्जिल,मनीमाजरा, चण्डीगढ़ को सूचनार्थ प्रेषित है।

Harikishan
अवर सचिव, प्रोटोकोल,
ओ/सी कृते. मुख्य सचिव हरियाणा सरकार। 19/10/2020